म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0/मं0बो0/भा0भु0यो0/2018/02/4877 भोपाल, दिनांक 12/12/2019

प्रति

कलेक्टर
जिला– रतलाम

विषय :– फ्लैट भावांतर भुगतान योजना एवं जय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत कृषकों को नगद भुगतान पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान का लाभ देने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2683 दिनांक 09.10.2019।

संदर्भित पत्र से खरीफ 2018 की फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा मंडी प्रांगण में व्यापारियों को बेची गई सोयाबीन के विक्रय की सम्पूर्ण राशि की नगद में प्राप्त करने वाले 24 कृषकों/हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाये जाने की अनुशंसा की गई थी।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2018 से जारी खरीफ 2018 फ्लैट भावांतर भुगतान योजना के संबंध मे यह निर्धारित था कि "प्रोत्साहन राशि के लिये भुगतान प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होगा कि पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय की गयी मात्रा की 50 प्रतिशत राशि या रूपये 10,000/– (दोनो में से जो भी कम हो) क्रयकर्ता लायसेंसी व्यापारी द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी से आवश्यक रूप से भुगतान किया गया हो।"

संदर्भित पत्र के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग स्तर पर निर्णय लिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के उपरांत योजना की प्रश्नागत शर्त में परिवर्तन का औचित्य नही है।

अतः संदर्भित पत्र में वर्णित हितग्राहियों को योजना का लाभ देय नही हो सकेगा।

12/12/19
(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/मं0बो0/भा0भु0यो0/2018/02/4878 भोपाल, दिनांक 12/12/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला– .... (समस्त)।
2. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय –
3. भारसाधक अधिकारी/नोडल सचिव/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति – ....।

12/12/19
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner